

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

136- बायतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री हरीश चौधरी

लाधाणियों की टाणी, बायतु पनजी

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान: राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर

दिनांक: 03-12-2023



3.12.2023

(विवेक व्यास)

रिटर्निंग अधिकारी

136-बायतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

(विवेक व्यास)

बायतु
रिटर्निंग अधिकारी

136-बायतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)

बायतु

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 136- Baytoo Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri HARISH CHAUDHARY

VP: LADHANIYON KI DHANI, GP BAYTOO PANJI, TEHSIL BAYTOO, DISTRICT BALOTRA-344034

sponsored by Indian National Congress (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Govt PG College Barmer

Dated: 03-12-2023



(Vivek Vyas)

Returning Officer

136-Baytoo Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)

(^{Baytoo}विवेक व्यास)

रिटर्निंग ऑफिसर

136-बायतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
बायतु